न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 134/09 (वाद)

GCMS No. : 2009/00203

अनवान

1. श्री मोती पिता वक्ता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
2. श्री केशुलाल पिता जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
3. श्री मेघराज पिता जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
4. श्री गणेश पिता जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
5. श्रीमती मोहनी पत्नी जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
6. श्री डालु पिता कालु डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
7. श्री नन्दराम पिता कालु डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
8. श्री मनोहरलाल पिता कालु डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भूरा पिता रूपा डांगी के बजाय :—

1/1 श्री भेरा पिता भूरा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।

1/2 श्रीमती सकुडीबाई पिता भूरा पत्नी देवा डांगी निवासी मांगथला रेतडा तह. मावली।

2. श्रीमती शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह राठौड निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
3. श्रीमती कला पुत्री जेता पत्नी कन्ना डांगी निवासी भैसडाकला तह. गिर्वा।
4. श्रीमती नारी पुत्री जेता पत्नी शम्भुलाल डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
5. श्रीमती उदी पुत्री जेता पत्नी केशुलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. श्रीमती राधी पुत्री कालु पत्नी भूरा डांगी निवासी लोरेला का गुडा तह. नाथद्वारा।
7. रखा पुत्री कालु पत्नी जगन्नाथ डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2, 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.11.2024

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी भूरा के पिताजी रूपा जी हम वादीगण के काका बाबा के भाई थे। रूपा जी के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी प्रतिवादी भूरा को लेकर गन्दोली नाते चली गई थी उस समय भुरा की उम्र करीबन 3–4 वर्ष की थी भूरा वहीं गन्दोली में ही बड़ा हुआ और वहाँ पर अपने नातायत पिता के साथ रहने लग गया।

2. यह कि प्रतिवादी भूरा के बड़े होने के बाद उसको मालूम हुआ कि ग्राम मांगथला में उसके पिताजी की जमीन थी और वो जमीन विरासत से भूरा के नाम आ गयी इसलिये भूरा ने मौजा मांगथला की आराजी नं. 61, 1212, 1213, 1214, 1253, 1256, 1267, 1303, 1331, 1332, 1429, 1462, 1478, 1611, 2094, 2104, 2105, 2106, 2107, 2291, 3092, 3093, 3094, 3164, 3202, 3203, 3204 किता 27 रकबा 15 बीघा में मेरा का 1/4 हिस्सा मय चाह नं. 1305, 1306, 3109 का हिस्सा सहित। इसी प्रकार मौजा मांगथला की आराजी नं. 39, 40, 41, 42 किता 4 रकबा पौने छत्तीस बीघा दो बिस्वा उसमें भूरा का 1/8 हिस्सा। इसी तरह मोजा मॉंगथला की आराजी नं. 1199, 1625, 1868, 1882, 2093, 2108, 2009 किता 7 रकबा पौने तेरह बीघा चार बिस्वा में भी भूरा का 1/8 हिस्सा। इसी तरह मोजा मांगथला की आराजी नं. 2466, 3711, 3712, 3713, 3715, 3716, 3717 कुल किता 7 रकबा साढे सत्ताईस बीघा एक बिस्वा में भूरा का 1/16वां हिस्सा इसी प्रकार मौजा मांगथला की आराजी नं. 3134, 3135 कुल किता दो रकबा साढे तीन बीघा मे भूरा का 1/16 वां हिस्सा। इसी तरह मौजा मांगथला की आराजी नं. 1767, 1768, 1812, 1813, 1814, 3115, 3116, 3117, 3118, 3120, 3121, 3205, कुल किता 12 बारह रकबा साढे अठारह बीघा में भूरा का 1/16 वां हिस्सा मय चाह नम्बर 3135 हिस्सा सहित। इसी तरह मौजा मांगथला की आराजी नं. 2126, 3127, 3128, 3131 कुल किता 4 रकबा सवा उन्नीस बीघा तीन बिस्वा में भूरा का 1/48 वां हिस्सा। इसी तरह मौजा मॉंगथला की आराजी नं. 3136 में भूरा का 7/288 वां हिस्सा मय चाह का हिस्सा सहित। इसी तरह मौजा मांगथला की आराजी नं. 3119, 3122, 3124 कुल किता 3 रकबा [illegible] छः बीघा तीन बिस्वा में भूरा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

7/360 वां हिस्सा मय चाह सहित। इसी तरह उपरोक्त सभी आराजीयात में भूरा का जो–जो हिस्सा था वो हिस्सा भूरा ने दिनांक 21.10.1980 को 10,000/– दस हजार रूपया में मुझ वादी मोती व हम वादीगण नं. 2 से 4 के पिता व 5 के पति तथा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 के पिता जेता जी ने तथावादी 6, 7, 8 के पिता व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 6, 7 के पिता कालु जी ने यानि मोती, जेता, कालु तीनों ने मिलकर क्रय की तथा भूरा ने तीनों के पक्ष में विक्रय पत्र लिख कर उस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा दी तथा कब्जा मोती, जेता व कालु के सिपुर्द कर दिया। तब से इन आराजीयात में भूरा जी का जितना जितना हिस्सा था उन हिस्सो पर मोती, जेता, कालु का कब्जा हो गया। इस तरह भूरा जी के हिस्से अनुसार तमाम आराजीयात में कब्जा आज से करीबन 30 वर्ष से हमारा चला आ रहा है। खरीददार में से मैं मोती जो वादी नं. 1 है मौजूद है तथा जेता जी व कालु जी का स्वर्गवास हो गया है। जेता जी के तीन लडकीया व तीन लडके व उनकी पत्नी मौजूद है, तीनों लडके व उनकी पत्नी वादी सं. 2 से 4 व 5 है तथा लडकीया वादी नहीं बनने से उन्हें आवश्यक पक्षकार होने से परफोरमा प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 बनाया गया है। इसी तरह कालु जी का स्वर्गवास हो गया है जिनके तीन लड़के व दो लडकीया मौजूद है जिसमें उनके लडको को वादी सं. 6, 7, 8 व लडकीया वादी नही बनने से परफोरमा पक्षकार प्रतिवादी 6, 7 बनाया गया है।

3. यह कि जिस समय भुरा ने मांगथला की आराजीयात में उसका जितना–जितना हिस्सा था वह हिस्सा हमको बेचा उस समय भी वह मांगथला में नहीं रहकर के गन्दोली में निवास करता था उस समय उसकी उम्र 51 वर्ष की थी तथा विक्रय पत्र में भी उसने हाल मुकाम गन्दोली लिखाया। इस तरह ग्राम मांगथला की आराजीयात में भुरा का जो–जो भी हिस्सा था वो सारा हिस्सा उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हमारे बिकाव कर दिया और कब्जा सिपुर्द कर दिया। ऐसी अवस्था में इस बिकाव पत्र के बाद मांगथला की आराजीयात में भूरा का किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिकार व अधिपत्य नहीं रहा तथा भूरा का कुलिया हिस्सा हम खरीददार मोती, जेता व कालु में विस्ट (मिलाया) हो गया और हम मालिक बन गये। ऐसी अवस्था में भूरा को मांगथला वाली जमीन में अब अपने हिस्से को किसी दुसरे को बिकाव करने का कोई अधिकार नहीं था। उसका जो भी अधिकार था वह सन् 1980 में ही समाप्त हो चुका था, 80

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

के बाद उसका मांगथला वाली आराजीयात में किसी प्रकार कोई टाईटल नही रहा।

4. यह कि जमीन खरीदने के बाद इस जमीन को हमारे नाम पर इन्तकाल खुलाने हेतु विक्रय पत्र हमने तत्कालीन पटवारी को दिया और तीन महीने तक वह खत उनके पास रहा और तीन माह बाद वह खत हमें लाकर दिया और कहा कि यह जमीन तुम्हारे नाम पर हो गई है। हमने पटवारी पर विश्वास कर लिया तथा अनपढ किसान होने से हमने यह सोचा कि हमारा काम हो गया है।

5. यह कि इसी साल जनवरी माह में भूमाफिया लोग हमारे गाँव में घुमने लगे और उन्होंने कहा कि अभी भी जमीन भुरा के खाते ही है। इसलिये गन्दोली के भुरा को लाकर के रजिस्ट्री करवा सकते है। ऐसा सुनकर हमने वर्तमान पटवारी मांगथला को हमारा असल खत उसको ले जाकर के दिया और कहा कि भुरा के खाते की उसके हिस्से की कुलिया जमीन हमने सन 1980 से ही खरीद रखी है तथा कब्जा भी हमारा है। भूरा गन्दोली रहता है। उसका यहां कोई कब्जा नहीं है इसलिए जमीन हमारे खाते कर दो। पटवारी हल्का ने हमको विश्वास दिलाता रहा कि मैं जमीन तुम्हारे खाते कर दूंगा।

6. यह कि अभी करीब 15 दिन पहले उक्त वर्तमान पटवारी ने हमारे द्वारा दिये हुये खत को वापस हमें लौटा दिया।

7. यह कि दिनांक 24.5.09 को व 25.5.09 को उदयपुर से करीब 5–15 लोग हमारे गाँव में आये और कहा कि भूरा की जमीन हमने खरीद ली है और कब्जा सिपूर्द करो। हमने कहा कि यहाँ भूरा की अब कोई जमीन नहीं है। भूरा ने अपने हिस्से की कुलिया जमीन रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से सन् 1980 में ही हमें बेच दी है।

8. यह कि उन लोगों के कहने से हमको इस बात की जानकारी हुई कि भुरा ने इस बेची हुई जमीन को पुनः बेच दी है जबकि उसको पुनः बेचने का कोई अधिकार नहीं था। दिनांक 28.5.09 को तहसील में आकर के हमने विक्रय पत्र की नकल की दरख्वास्त लगायी जो हमको आज प्राप्त हुई। उससे मालूम हुआ कि भुरा ने श्रीमती शिवराज कुमार पत्नी लक्ष्मण सिंह जी राठौड निवासी ओडवाडिया को पुनः बिना कोई प्रतिफल लिये बेच दी है जो हमारे मुकाबले यह विक्रय पत्र नल एण्ड बोईड है इस [illegible] का हमारे पर कोई कानूनी असर नहीं है। क्योंकि जिस [illegible] को भूरा [illegible] ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेच

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rundia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

चुका है और उसका कोई स्वत्व ही नहीं रहा है। ऐसी दशा में दिनांक 6.4.09 को जो विक्रय पत्र भूरा ने शिवराज कुमारी के पक्ष में लिखाया है उसकी कानूनन कोई वेल्यु नहीं है तथा वोईड है। शिवराज कुमारी भी यह जानती थी कि भुरा गन्दोली में रहता है तथा मांगथला में जमीन पर कोई कब्जा नही है। केवल खाते में उसका नाम रह जाने से भूमाफियों की इमदाद से भूरा को बहला फुसला कर यह खत लिखाया है जो हमारे मुकाबले बेअसर है।

9. यह कि वर्तमान पटवारी तथा वर्तमान सरपंच मांगथला यह जानते थे कि भुरा के हिस्से की जमीन पहले ही विक्रय हो चुकी है क्योंकि हमने हमारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तीन महीने पहले ही पटवारी को दे दिया था जिससे पटवारी हल्का को यह जानकारी थी कि भूरा का जो–जो हिस्सा था वो हिस्सा सन् 1980 से ही बिक चुका है तथा सन् 80 से ही कब्जा खरीददार का है। इसी तरह लोकल सरपंच भी व उसका पति भी जानते थे कि भूरा उसके पिता रूपा के मरने के बाद भी रूपा की औरत के साथ ही गन्दोली चला गया। इस तरह जमीन पर भूरा का कोई कब्जा नहीं था। फिर भी वर्तमान पटवारी व वर्तमान सरपंच ने भूमाफियाओं से मिलकर षडयन्त्रपूर्वक बिना कब्जे की जांच करके आनन फानन में इस वोईड खत के आधार पर नामान्तरण शिवराज कुमारी के पक्ष में खोल कर पास कर दिया। वर्तमान पटवारी ने हमको इस बात की सूचना भी नहीं दी। इसी तरह पंचायत ने भी हमें कोई सूचना नही दी। बिना कोरम के हूवे भी नामान्तरकरण पास कर दिया जो हमारे मुकाबले बेअसर व शुन्य है। तथा हम वादीगण मौजा मांगथला की भूरा के जितना–जितना हिस्सा था जो शिवराज कुमारी के नाम पर किया उस इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी है तथा भूरा का कुलिया हिस्सा हम वादीगण व परफोरमा प्रतिवादीगण 3 से 7 तक हम खातेदारी अधिकार से घोषित कराने के अधिकारी है।

10. यह कि उक्त आराजीयात पर हमारा कब्जा निरतंर करीब 30 साल से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से चला आ रहा है जिसे सारा गाँव मांगथला जानता है। भूरा नाबालिग अवस्था में ही मांगथला को छोडकर गन्दोली अपनी माँ के साथ चला गया। ऐसी अवस्था में भूरा का मांगथला वाली जमीन में कोई कब्जा नहीं रहा। अब चूंकि प्रतिवादी नं. 2 शिवराज कुमारी ने एक गलत दस्तावेज भूरा से लिखवा लिया है इसलिये उक्त दस[illegible]ी आड लेकर के प्रतिवादी नं. 2 भूमाफियों को साथ लेक[illegible] किसी सम[illegible]मारे शांतिपूर्वक कब्जे में दखल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rundadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

सकते है तथा वे जबरन आधिपत्य करने की कोशिश करेगें। जैसा कि उन्होंने 24.5.09, 25.5.09 को आकर के हमें धमकी दी है। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी नं. 1, 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराने के अधिकारी है कि वे अब जमीन को किसी प्रकार से अन्य को हस्तान्तरण नही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा हमारे शांतिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचायें, तथा मौके पर आकर के हमें बेदखल नहीं करें।

11. यह कि हम वादीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि हमारे पास भूरा द्वारा लिखा हुआ सन् 1980 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मौजूद है इसके मुकाबले प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में जो विक्रय पत्र है वो हमारे विक्रय पत्र के बाद का है। जो स्वतः ही वोईड दस्तावेज है। इस आधार पर उसको कोई टाईटल प्राप्त नहीं होता है। इस तरह अशोधनीय हानि व सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है। ऐसी अवस्था में स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं है। जबकि जारी नहीं होने से हम वादीगण को भारी नुकसान है। मौके पर अशांति पैदा होगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।

12. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 से 7 जेता व कालु की लडकीयां होने से इस मुकदमें में परफोरमा प्रतिवादी बनाया है। जिनका बनाया जाना आवश्यक है।

13. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 24.5.09, 25.5.09 को उत्पन्न हुई जब प्रतिवादी सं. 2 मोके पर आकर कब्जा लेने की धमकी दी व जमीन को खरीदना बताया जब से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

14. अन्त में निवेदन किया कि हम वादीगण तथा प्रतिवादी से 3 से 7 के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 के विरुद्ध इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि मौजा मांगथला की आराजीयात में जहाँ जहाँ जितना जितना हिस्सा भूरा का है वो हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 शिवराजकुमारी के नाम से हटाकर हमारे नाम पर दर्ज कराई जाये और हमारे खातेदारी हक में घोषित कराई जावें। यह कि प्रतिवादी भूरा ने दिनांक 06.4.09 को जो विक्रय पत्र दुबारा शिवराजकुमारी के पक्ष में लिखाया है वह विक्रय पत्र स्वतः वोईड व निष्प्रभावी है ऐसी घोषणा फरमाई जावे। कि स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि प्रति. सं. 2 शिवराज कुमारी अपनी जमीन को किसी अन्य को किसी प्रकार से ट्रान्सफर नहीं करे व हमारे शांतिपूर्वक उपयोग [illegible] में बांधा नहीं पहुंचावें व मौके पर आकर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे व कब्जा करने की चेष्टा नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि रूपा के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी भूरा गंदोली में ही बड़ा हुआ हो। भूरा के नाम पर अपने पिता की मृत्यु के बाद से वाद में वर्णित कृषि भूमियां उसके नाम पर आई परंतु यह कहना गलत है कि प्रतिवादी सं. एक ने दिनांक 21.10.1980 को दस हजार रूपये में वादी मोती व वादीगण सं. 2 लगायत 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति जेता तथा वादी सं. 6, 7 व 8 के पिता कालूजी को विक्रय पत्र लिख कर विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा दी हो तथा यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी मोती व मृतक जेता व कालू को वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से का आधिपत्य सुपुर्द कर दिया हो जबकि उक्त कृषि भूमियों में भूरा का ही आधिपत्य चला आ रहा है।

16. यह कहना गलत है कि भूरा का इस जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो। यह कहना भी गलत है कि खरीददार ने कब्जा वादीगण से मांगा हो सभी गलत तथ्य अंकित किये है जबकि प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 भूरा ने कृषि भूमि विक्रय करने का इकरार किया तब प्रतिवादी सं. 2 ने उक्त कृषि भूमि के संबंध में आम सूचना पत्र में आपत्ति के संबंध में प्रकाशित किया तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई तो उसके बाद में प्रतिवादी सं. एक ने प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में विधिवत रूप से विक्रय कर आधिपत्य सुपुर्द किया।

17. यह कहना गलत है कि मुझ प्रतिवादी भूरा ने श्रीमती शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मीसिंह, जाति राजपूत ओडावाले से बिना कोई प्रतिफल लिये वादग्रस्त कृषि भूमि बेच दी हो जबकि प्रतिवादी भूरा ने शिवराज कुमारी के पक्ष में दिनांक 06.04.09 को लिखा गया विक्रय पत्र कानूनन शून्य नहीं है तथा यदि दस्तावेज शून्य नहीं है तो वादीगण इस न्यायालय से दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वादीगण को दस्तावेज के शून्यकरण घोषित करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में दाद प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत कर सकते है इस न्यायालय को वाद शून्यकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा यह कहना भी गलत है भूरा ने भूमाफियों की इमदाद से वि[illegible] प्रतिवादी सं. दो के पक्ष में लिखा हो। यह कहना गलत है कि पटवारी [illegible] सरपंच ने भूमाफियों से मिलकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Runandia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

बिना कब्जे की जांच किये आनन फानन में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमति शिवराजकुमारी के पक्ष में नामान्तरण खोल कर पास कर दिया जबकि ग्रामपंचायत ने पूरी तरह से जांच कर कब्जा श्रीमती शिवराजकुमारी के पक्ष में होने पर ही नामान्तरण उसके पक्ष में तस्दीक किया तथा वादीगण किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है।

18. वादग्रस्त आराजियात भूरा के हिस्से पर प्रार्थीगण का 30 वर्षों से आधिपत्य चला आ रहा हो तथा यह कहना भी गलत है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का आधिपत्य नहीं होने के कारण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं है।

19. कि प्रतिवादी सं. एक द्वारा प्रतिवादी सं. दो के पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र वोईड दस्तावेज हो तथा यदि दस्तावेज शून्यकरण होने पर वादीगण को जब तक दस्तावेज को शून्यकरण घोषित नहीं करवा पाते है तब तक किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। जब वादीगण ने प्रतिवादी सं. 3 से 7 को प्रफोर्मा प्रतिवादी बनाया परंतु भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील मावली को पक्षकार नहीं बनाया, इसलिए उक्त वाद चलने योग्य नहीं है।

20. यह कि दिनांक 24.05.09, 25.05.09 को कोई वाद कारण वादीगण को उत्पन्न नहीं हुआ तथा न उसके बाद में उत्पन्न हुआ।

21. यह कि उक्त वाद आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है क्योंकि यदि कोई दस्तावेज शून्य होता है तो वादीगण को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त होते है जबकि प्रतिवादी सं. एक के द्वारा प्रतिवादी सं. दो के पक्ष में लिखा गया दस्तावेज दिनांक 06.04.09 को किसी विधि के उल्लंघन के कारण शून्य नहीं है जबकि शून्य दस्तावेज वह दस्तावेज होता है जो किसी विधि के उल्लंघन के कारण को दर्शाता हो तथा प्रतिवादी सं. एक के द्वारा प्रतिवादी सं. दो के पक्ष में लिखे गये विक्रय पत्र धारा 42 के विपरीत गैर कानूनी एवं प्रभाव शून्य नहीं है इसलिए वादीगण जब तक दिनांक 06.04.09 को निष्पादित प्रतिवादी सं. दो के पक्ष में विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से शून्य घोषित नहीं करवावे तब तक आप न्यायालय से उक्त वादीगण किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा विक्रय पत्र निरस्तीकरण एवं विक्रय पत्र की निरस्तीकरण की [illegible] के लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं होकर सिविल न्यायालय सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

22. वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 से 7 प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कोई डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 2 शिवराज कुमारी के नाम पर जो कृषि भूमियां है उनको वादीगण इस वाद के माध्यम से अपने नाम पर खातेदारी हक में घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। दिनांक 06.04.09 को लिखा विक्रय पत्र को इस न्यायालय को निष्प्रभावी करने का कोई अधिकार नहीं है तथा न ही इस संबंध में किसी प्रकार की निष्प्रभावी की घोषणा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों पर वादीगण का किसी प्रकार से कोई आधिपत्य नहीं है इसलिए किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण किसी प्रकार से कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

23. अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रतिवादी सं. एक के विरूद्ध वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

24. प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मांगथला में स्थित आराजी नम्बर 61, 1212, 1213, 1214, 1253, 1254, 1267, 1303, 1331, 1332, 1429, 1462, 1478, 1611, 2094, 2104, 2105, 2106, 2107, 2291, 3092, 3093, 3094, 3164, 3202, 3203, 3204 किता 27 रकबा 15 बीघा है भूरा का 1/4 हिस्सा मय चाह नम्बर 1305, 1306, 3109 का हिस्सा लिखा है जो सही है इसी तरह मौजा मांगथला के आराजी नम्बर 39, 40, 41, 42 होना स्वीकार है एवं इसी कलम में जो आराजीयात अंकित की है उन आराजीयात में भूरा का हिस्सा अंकन किया है वह सही है परन्तु भूरा द्वारा दिनांक 21.10.1980 को 10,000/— रूपया में वादी मोती एवं अन्य वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 से 5 के पिता जेता जी एवं प्रतिवादी सं. 6 से 8 के पिता कालु जी को भूरा द्वारा रजिस्ट्री करा जमीन बेचने का अंकन किया है वह गलत है न भूरा द्वारा कोई जमीन ही सुपुर्द की गई, जमीन पर कब्जा भूरा जी का अपने हिस्से अनुसार चल रहा है। वादीगण ने जानबुझकर सजरा पेश नहीं किया है इसलिए सजरा के अभाव के सपाट जवाब देना असम्भव हैं।

25. वादग्रस्त आराजीयात पर भूरा का कब्जा चला आ रहा है भूरा का स्थाई निवास गन्दोली में है परन्तु मांगथला में भी उसकी जमीन जायदाद व मकान है उसमें निवास करता है साथ ही अपनी खे[illegible]खभाल करता आ रहा था कब्जा सुपुर्द नहीं किया। जब भूरा के जमीन [illegible] ही नहीं तो कब्जा होने का और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

कब्जे के आधार पर खातेदार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। भूरा ने अपने खाते की भूमि श्रीमती शिवराज कुमारी को दिनांक 06.04.2009 को 9,21,000/— रूपये में विक्रय कर उस पर दस्तावेज प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित करा दिया और रजिस्ट्री होने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर आ गई है वर्तमान में शिवराजकुमारी खातेदार काश्तकार है और उसी का विवादित भूमि पर कब्जा है। सरपंच एवं पटवारी ने विक्रय के आधार पर जमीन का नामान्तरकरण पास किया है वह सही है प्रतिवादी सं. 2 के बारे में न्याय के सिद्धान्तो के अन्तर्गत नामान्तकरण खोला है जो सही किया हैं।

26. यह कि वादीगण का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है प्रतिवादी भूरा ने कोई जमीन वादीगण को विक्रय नहीं है प्रतिवादी सं. 2 का जो विक्रय पत्र है वह वोईड नहीं होकर जायज है वादीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार का प्राइमाफेसी केस नहीं है न ही सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है वादीगण का कोई कब्जा ही नहीं है तो अशोधनीय हानि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। बिनाय वाद दिनांक 24.05.2009 व 25.05.2009 को उत्पन्न नहीं हुआ हैं। शिवराज कुमारी के पक्ष में जो विक्रय पत्र भेरा ने लिखा है उसको शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इस न्यायालय को नहीं हैं।

27. काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 2 ने जो भूमि खरीदी उससे पहले दिनांक 26.03.2009 को दैनिक अखबार राजस्थान पत्रिका में एक आम सूचना प्रकाशित करवाई कि मांगथला में भूरा के खातेदारी की जमीन भूरा विक्रय कर रहा है उसको खरीदने के सम्बन्ध में अगर किसी का भी उजर ऐतराज हो वह 7 दिन में प्रस्तुत करे अन्यथा 7 दिन में उजर एतराज नहीं होने पर जमीन विक्रय की जा रही है विक्रय होने के बाद कोई उजर एतराज मान्य नहीं होगा इन 7 दिनों की अवधि में जब कोई उजर एतराज नहीं हुआ तो उसके बाद कोई मान्य नहीं होगा। इस दौरान कोई उजर ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया इस पर प्रतिवादी सं. 2 ने राजस्व रेकार्ड देखकर व सही पा कर एक सद्भावी क्रेता के रूप में जमीन क्रय की इसलिए प्रतिवादी सं. 2 सद्भावी क्रेता हैं। प्रतिवादी सं. 2 के विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न की राजस्व न्यायालय को हैं। वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी सं. 3 से 7 तक के विरूद्ध [illegible] निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे प्रतिवादी सं. 2 के खाते [illegible] कब्जे काश्त [illegible] भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करे व शांतिपूर्वक काश्त करने देवे क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है व यह रिलीफ पाने के अधिकारी हैं।

28. यह कि काउन्टर क्लेम का वाद कारण दिनांक 05.06.2009 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

29. यह कि वादीगण ने अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार है बिना पक्षकार बनाये दावा चल नहीं सकता है इस लिये वाद खारिज फरमाया जावें।

30. वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि हमारे गांव मांगथला में राजस्थान पत्रिका का अखबार नहीं आता है तथा हम वादीगण केवल हस्ताक्षर करना जानते है, हमे अखबार पढना नहीं आता है इसलिए अखबार के प्रकाशन का हम वादीगण पर कोई असर नहीं है और उसमें हमारे अधिकारों पर कोई असर नहीं पडता है, प्रतिवादी सं. 2 सद्भावी क्रेता नहीं है। विक्रय पत्र शून्य ही है इसलिए सिविल न्यायालय में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता हैं। प्रतिवादी सं. 2 का मौके पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा हम वादीगण का ही है, हम वादीगण ने विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत मांगथला में दिनांक 01.10.82 को नामान्तरकरण भी पास हो चुका था केवल रेवेन्यु रिकार्ड में दाखला नहीं लगने से हमे यह वाद करना पडा है इस तरह हम वादीगण का वाद सही हैं। इस मामला में सभी पक्षकार आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि यह दावा केवल घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है बंटवारा का नहीं है इसलिए हमने जिस पक्षकार के खिलाफ दाद चाही है उसी को पक्षकार बनाया है जो सही हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमावें।

31. प्रकरण में न्यायन निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया मौजा मांगथला की वादग्रस्त आराजीयात जिसमें प्रतिवादी भूरा का जितना हिस्सा था वह 51 वर्ष पूर्व वादी सं. 1, वादी सं. 2 से 5 के पिता/पति, वादी सं. 6 से 8 के पिता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तभी से कब्जा वादीगणों का उनके पिता/पति के समय से चला आ रहा हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

.....वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी भूरा का सन् 1980 के बाद से कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं।

.....वादीगण

3. आया प्रतिवादी भूरा ने श्रीमती शिवराजकुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह राठौड निवासी ओडवाडिया को बिना कोई प्रतिफल लिये जमीन दिनांक 06.04.09 को बेच दी जो कि नल एण्ड वोईड है।

.....वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजीयात भूरा ने बेचान नहीं की उस पर उसी का कब्जा एवम् आधिपत्य चला आ रहा था। इसी कारण श्रीमती शिवराजकुमारी को जमीन का बेचान किया गया था।

.....प्रतिवादी सं. 1

5. आया भूरा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात विक्रय करने का ईश्तिहार राजस्थान पत्रिका दिनांक 26.03.2009 को निकलवाया। वादीगण द्वारा 7 दिवस में कोई उजर, ऐतराज पेश नहीं करने पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 2 द्वारा क्रय की गई है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्व कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

.....प्रतिवादी सं. 2

6. अनुतोष।

32. प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री मोती पिता वक्ता, पी.डब्ल्यू–2 श्री धुला पिता माना, पी.डब्ल्यू–3 श्री देवा पिता भेरा के शपथ पत्र पेश किये।

33. प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 1 द्वारा दस्तावेज मौजा मांगथला की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2063–66 की खाता सं. 483 प्रदर्श 1, खाता सं. 482 प्रदर्श 2, खाता सं. 479 प्रदर्श 3, खाता सं. 478 प्रदर्श 4, खाता सं. 477 प्रदर्श 5, खाता सं. 476 प्रदर्श 6, खाता सं. 398 प्रदर्श 7, खाता सं. 396 प्रदर्श 8, विक्रय पत्र दिनांक 21.10.80 की फोटोप्रति प्रदर्श 9, मौजा मांगथला की नामान्तरकरण नकल प्रदर्श 10, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.2009 प्रदर्श 11 करवाये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

34. प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रारम्भ की गई। साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डी. डब्ल्यू 1 श्री भेरा पिता भूरा, डी.डब्ल्यू 2 श्री हमेरा पिता पदमा, डी.डब्ल्यू 3 श्री देवा पिता गांगा के शपथ पत्र पेश किये।

35. प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 2 श्री धुला पिता माना प्रदर्श ए1, पीडब्ल्यू 3 श्री देवा पिता भेरा प्रदर्श ए2 प्रदर्श करवाये गये।

36. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में भाई बन्ध है एवम् प्रतिवादी भुरा पिता श्री रूपा जी हम वादीगण के काका बाबा के भाई थे रूपाजी के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी प्रतिवादी भुरा को लेकर गाँव गन्दोली नाते चली आई उस समय भुरा की उम्र 3–4 वर्ष थी भुरा वही गन्दोली मे बडा हुआ था और वहाँ पर अपने नातायत पिता के साथ रहने लग गया ।

37. प्रतिवादी भूरा के बड़े होने पर उसको मालुम हुआ कि ग्राम मांगथला में उसके पिताजी की जमीन है और वह जमीन विरासत से भुरा के नाम पर आ गई इसलिये भुरा ने मौजा मांगथला के हाल आराजी नम्बर 61, 1212, 1213, 1214, 1253, 1256, 1267, 1303, 1331, 1332, 1429, 1462, 1478, 1611, 2094, 23104, 2105, 2106, 2107, 2201, 3092, 3093, 3094, 3164, 3202, 3203, 3204 कुल किता 27 रकबा 15 बीघा में भूरा का 1/4 हिस्सा के साथ चाह नम्बर 1305, 1306, 3109, का हिस्सा सहित इसी प्रकार मौजा मांगथला के आराजी नम्बर 39, 40, 41, 42 कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा उसमे भुरा का 1/8 हिस्सा इसी तरह मौजा मांगथला की आराजी नम्बर 1199, 1625, 1868, 1882, 2093, 2108, 2009 कुल किता 7 रकबा पौने तेरह बीघा चार बिस्वा में भी भुरा का 1/8 हिस्सा इसी तरह मोजा मांगथला की आराजी नम्बर 2466, 3711, 3712, 3713, 3715, 3716, 3717 कुल किता 7 रकबा साढे सताईस बीघा एक बिस्वा ने भूरा का 1/16 वां हिस्सा एवम् आराजी नम्बर 3134, 3135 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में 1/16 वॉ हिस्सा, इसी तरह मौजा मांगथला की आराजी नम्बर 1767, 1768, 1812, 1813, 1814, 3115, 3116, 3117, 318, 3120, 31[illegible] 3[illegible]5 कुल किता 12 रकबा 18 बिघा 10 बिस्वा में भुरा प्रति[illegible]ख्या 1 क[illegible]/16 हिस्सा मय चाह नम्बर 3135

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा सहित इसी तरह मौजा मांगथला के हाल आराजी नम्बर 3126, 3127, 3128, 3131 कुल किता 4 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा में भुरा का 1/48 वॉ हिस्सा, इसी तरह आराजी नम्बर 3136 में भुरा का 7/288 वां हिस्सा मय चाह का हिस्सा सहित इसी तरह मोजा मांगथला के आराजी नम्बर 3119, 3122, 3124 कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 भूरा का 7/360 वॉ हिस्सा मय चाह सहित इसी तरह सभी आराजीयात में भुरा प्रतिवादी संख्या 1 का जो जो हिस्सा था वो हिस्सा भुरा ने दिनांक 21/10/1980 को 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये में मुझ वादी एवं वादीगण संख्या 2 से 4 के पिता व वादी संख्या 5 के पति तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी 3, 4, 5 के पिता जेता ने तथा वादी संख्या 6, 7, 8 के पिता व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6, 7 के पिता कालुजी ने यानि मोती जेता, कालू, तीनो ने मिलकर क्रय की तथा भूरा ने तीनो के पक्ष में विक्रय पत्र लिखकर विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा दी एवं कब्जा मोती, जेता, कालु को सिपुर्द कर दिया तब से इन आराजीयात् मे भूराजी का जितना जितना हिस्सा था उन हिस्सो पर मोती, जेता, कालु हम वादीगण का एवं उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात् पर उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इसी तरह भूरा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार सम्पूर्ण आराजीयात में कब्जा आज से करीबन 40 वर्ष से हमारा कब्जा चला आ रहा है उक्त खरीददारो मे मोती जो वादी संख्या 1 है जीवित है तथा जेता व कालु का स्वर्गवास हो गया है जेताजी के तीन लडकिया व तीन लडके व उनकी पत्नी मौजूद है जो वादी संख्या 2, 3, 4 व 5 है तथा लडकिया वादी नहीं बनने से आवश्यक पक्षकार होने से परफोरमा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 बनाया गया है इसी तरह कालू जी का भी स्वर्गवास हो गया है जिनके तीन लड़के व दो लड़किया है जिसमें उनमे लडके वादी संख्या 6, 7, 8 है व लडकिया वादी नहीं बनने से परफोरमा पक्षकार प्रतिवादी संख्या 6, 7 बनाया गया है।

38.कि जिस समय प्रतिवादी संख्या 1 भुरा ने मांगथला की आराजीयात में उसका जितना जितना हिस्सा था वह हिस्सा हमको बेचा उस समय भी वह मांगथला में नहीं रहकर के गन्दोली में निवास करता था उस समय उसकी उम्र 51 वर्ष की थी तथा विक्रय पत्र में भी उसके हाल निवास गन्दोली ही लिखाया था इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

तरह मौजा मांगथला की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 भूरा का जो जो हिस्सा था वो सारा हिस्सा उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा हम वादीगण को सिपुर्द (बिकाव) कर दिया और कब्जा सिपुर्द कर दिया ऐसी अवस्था में इस बिकाव पत्र के बाद मांगथला की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या भूरा का किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा तथा भूरा का कुलिया हिस्सा हम खरीददार वादीगण मोती जेता व कालु में निष्प (मिलाया) हो गया और हम मालिक बन गऐ ऐसी अवस्था में भूरा को मांगथला वाली जमीन में अब अपने हिस्से को किसी दूसरे को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था उसका जो भी अधिकार था वह सन् 1980 में ही समाप्त हो चुका था सन् 1980 के बाद उसका मांगथला वाली आराजीयात में किसी प्रकार कोई टाईटल नहीं रहा ।

39. कि जमीन खरीदने के बाद इस जमीन को हम वादीगण ने हमारा नाम पर इन्तकाल खुलाने हेतु विक्रय पत्र हमने तत्कालीन पटवारी को दिया और तीन महिने तक वह विक्रय पत्र उनके पास रहा और तीन माह बाद वह खत हमे लाकर दिया और कहा कि जमीन तुम्हारे नाम पर हो गई है हम वादीगण ने पटवारी पर विश्वास कर लिया तथा अनपढ किसान होने से हमने यह सोचा की हमारा काम हो गया है।

40. कि जनवरी माह में जब भुमाफिया लोग हमारे गाँव में घुमने लगे और उन्होने कहा कि अभी भी जमीन भूरा के खाते ही है इसलिऐ गन्दोली के भुरा को लाकर रजिस्ट्री करवा सकते है ऐसा सुनकर हम वादीगण ने वर्तमान पटवारी मांगथला को हमारा असल खत उसको ले जाकर दिया और कहा की भूरा के खाते की उससे हिस्से की कुलिया जमीन हमने सन् 1980 से ही खरीद रखी है तथा कब्जा भी हमारा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भूरा गन्दोली रहता है उसका यहां कोई कब्जा नहीं है इसलिए जमीन हमारे खाते कर दो और पटवारी साहब हम वादीगण को विश्वास दिलाते रहे की जमीन तुम्हारे खाते कर दूंगा और पटवारी साहब ने उक्त वर्तमान पटवारी साहब ने हम वादीगण द्वारा दिये गऐ खत को वापस लौटा दिया ।

41. कि दिनांक 24/05/2009 को व 25/5/2009 को उदयपुर से करीब 5 से 15 लोग हमारे गाँव में आऐ और क[illegible]रा की जमीन हमने खरीद ली है और कब्जा सिपुर्द करो हम वादीगण ने [illegible]हा कि अब भूरा की यहां पर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

जमीन नहीं है भूरा ने अपने हिस्से की कुलिया जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन् 1980 में ही हम वादीगण को बेच दी है।

42. कि उन लोगो ने कहने से हम को इस बात की जानकारी हुई कि भूरा ने इस बेची हुई जमीन को पुनः बेच दी है जब कि उसको पुनः बेचने का कोई अधिकार नहीं था दिनांक 28/5/2009 को तहसील में आकर हमने विक्रय पत्र की नकल हेतु दरख्वास्त लगाई और हमने नकल प्राप्त की उससे मालुम हुआ कि भुरा ने श्रीमती शिवराज कुमारी पत्नी लक्षमणसिंह जी राठोड निवासी ओड़वाडिया को पुनः बिना कोई प्रतिफल लिऐ बेच दी है जो हमारे मुकाबले यह विक्रय पत्र नल एण्ड वोईड है इस विक्रय पत्र का हमारे पर कोई कानुनी असर नहीं है क्योकि जिस जमीन को भुरा पहले ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेच चुका है और उसका कोई स्वत्व ही नहीं रहा है ऐसी दशा में दिनांक 6/4/2009 को जो विक्रय पत्र भुरा ने शिवराज कुमारी के पक्ष में लिखाया है उसकी कानूनन कोई वेल्यु नहीं है तथा वोईड है शिवराज कुमारी भी यह जानती थी कि भुरा गन्दोली गाँव में रहता है तथा मांगथला की जमीन पर उसका कोई कब्जा नहीं है केवल खाते में उसका नाम रह जाने से भूमाफीयो की इमदाद से भूरा को बहला–फुसलाकर यह खत लिखाया है जो हमारे मुकाबले बेअसर है।

43. कि वर्तमान पटवारी व वर्तमान संरपच मांगथला यह जानते थे कि भूरा के हिस्से की जमीन पहले ही विक्रय हो चुकी है क्योकि हम वादीगण ने हमारा विक्रय पत्र तीन महिने पहले ही पटवारी साहब को दिया जिससे पटवारी हल्का को जानकारी थी कि भूरा का जो जो हिस्सा था वह हिस्सा सन् 1980 मे ही बिकाव हो चुका है एवं कब्जा सन् 1980 से ही खरीदार का हो चुका है इस तरह भुरा उसके पिता रूपा के मरने के बाद भी रूपा की औरत के साथ गन्दोली चला गया है और जमीन पर भी कब्जा नहीं रहा है फिर भी वर्तमान पटवारी व वर्तमान संरपच ने भुमाफीयो से मिलकर षडयंत्र पूर्वक बिना कब्जे की जांच करके आनन फानन में इस वोईड खत के आधार पर नामान्तरकरण शिवराज कुमारी के पक्ष में खोल दिया वर्तमान पटवारी द्वारा हमे इस बात की कोई सूचना नहीं दी, बिना कोरम के हुऐ भी इस नामान्तकरण को पास कर दिया जो हमारे मुकाबले बेअसर व [illegible] हम वादीगण मौजा मांगथला की भुरा से जितना जितना [illegible] जो शिव[illegible] कुमारी के नाम पर कर दिया उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Phirodia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी है तथा भूरा का कुलिया हिस्सा हम वादीगण एवं परफोरमा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 तक हम खातेदारी अधिकार से घोषित करवाने के अधिकारी है।

44. कि जैसा कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या प्ररफोरमा 3 से 7 तक ने निवेदन किया उक्त आराजीयात् पर कब्जा निरन्तर 40 वर्ष से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से चला आ रहा है जिससे सारा गाँव मांगथला जानता है भूरा नाबालिग अवस्था में ही मांगथला को छोडकर अपनी माँ के साथ गन्दोली गाँव आ गया था ऐसी अवस्था में भुरा का मांगथला वाली जमीन मे कोई कब्जा नहीं रहा अब चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी ने एक गलत दस्तावेज भूरा से लिखवा लिया है इसलिऐ उक्त दस्तावेज की आड् लेकर के प्रतिवादिया संख्या 2 भूमाफियो को साथ लेकर हमारे शान्तिपूर्वक कब्जे में दखल कर सकते है तथा वह जबरन आधिपत्य करने की कोशिश करेगे उन्होने पहले भी दिनांक 24/05/2009 को व 25/5/2009 को आकर हमे धमकी दी इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि वह मूल वाद के निस्तारण तक वाद वर्णित आराजीयात को विक्रय नहीं करे व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

45. कि हम वादीगण का मजबूत प्राइमाफेशी केंस है क्योकि हमारे पास भूरा द्वारा लिखा गया सन् 1980 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मौजूद है इसके मुकाबले प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जो विक्रय पत्र है वो हमारे विक्रय पत्र के बाद का है जो स्वत् ही वोईड दस्तावेज है इस आधार पर भी उसको कोई टाईटल प्राप्त नहीं होता है।

46. कि वाद कारण दिनांक 24/05/2009 को एवं 25/5/2009 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 2 के मौके पर आकर कब्जे लेने की धमकी दी व जमीन खरीदना बताया व जब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

47. कि मौजा मांगथला की आराजीयात में जहां जहां जितना जितना हिस्सा भूरा का था वो हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 शिवराजकुमारी के नाम हटाकर हमारे नाम दर्ज कराई जावे और हमारे खातेदारी हक में घोषित कराई जावे।

48. कि प्रतिवादी संख्या 1 भूरा ने दिनांक 6/4/2009 को जो विक्रय पत्र दुबारा शिवराज कुमारी के पक्ष में लिखाया वह विक्रय पत्र स्वतः वोईड व निष्प्रभावी है ऐसी घोषणा भी फरमाई जावे तथा साथ ही इस तरह की निषेधाज्ञा अमर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी अपनी जमीन को किसी अन्य को किसी प्रकार से ट्रांसफर नहीं करे व शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावे व मौके पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे व कब्जा करने की भी चेष्टा नहीं करे।

49. इस तरह हम वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भूरा एवं प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी दोनो ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमे हम वादीगण के वाद को अस्वीकार किया और अपना कब्जा मानते हुऐ वाद को खारिज करने का निवेदन किया ।

50. हम वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाबदावे के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया मौझा मांगथला के वादग्रस्त आराजीयात जिसमें प्रतिवादी भूरा का जितना हिस्सा था वह 51 वर्ष पूर्व वादी संख्या 1 वादी संख्या 2 से 5 के पिता/पति, वादी संख्या 6 से 8 के पिता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था तभी से कब्जा वादीगण का उनके पिता/पति के समय से चला आ रहा है ?

.....वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी भूरा का सन् 1980 के बाद से कोई हक अधिकार नहीं रहा है ?

.....वादीगण

3. आया प्रतिवादी भूरा ने श्रीमती शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह राठौड निवासी ओडवाडिया को बिना कोई प्रतिफल लिऐ जमीन दिनांक 6/4/2009 को जमीन का बेचान किया था ?

.....वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजीयात भूरा ने बेचान नहीं की उस पर उसी का कब्जा एवम् आधिपत्य चला आ रहा था इसी कारण श्रीमती शिवराज कुमारी को जमीन बेचान किया गया था ?

.....प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

5. आया भूरा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात विक्रय करने का ईश्तिहार राजस्थान पत्रिका दिनांक 26/3/2009 को निकलवाया वादीगण द्वारा 7 दिवस में कोई उजर–ऐतराज पेश नहीं करने पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा क्रय की गई है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

........प्रतिवादी सं. 2

6. अनुतोष

51.इस प्रकार तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार हम वादीगण का था एवं वादीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 प्रस्तुत किया गया है एवं दस्तावेज सा. में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो खातेदार श्री भुरा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 21/10/1980 को लिख दिया व प्रस्तुत की है एवं वादी ने उस विक्रय पत्र को जमीन अपने नाम पर करवाने हेतु तत्कालीन पटवारी हल्का को प्रस्तुत किया उसके आधार पर पटवारी हल्का मांगथला द्वारा नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 23/9/82 को पटवारी हल्का ने यह लिखा है कि भूरा ने जो उसके खाते व हिस्से की थी वह कुलिया जमीन रजिस्टर्ड विकय पत्र से मोती व उसके भाईयो को विक्रय कर दी है एवं कब्जा सिपुर्द कर दिया है इसी नामान्तरण को उस समय के भू अभिलेख निरीक्षक ने सही मानकर उचित आदेश हेतु पंचायत को लिखा उस नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा दिनांक 1/10/1982 को स्वीकृत कर लिया है जो प्रदर्श 10 है इस नामान्तकरण के आधार पर रेवेन्यू ऑथरिटी को यह चाहिए था की वे इस जमीन को खाते में भूरा के नाम को हटाकर हम वादीगण के नाम पर कर देते लेकिन उनकी लापरवाही से इस नामान्तकरण के जमीन का रद्दो बदल नहीं हुआ एवं रेवेन्यू रेकार्ड में जमीन भूरा के नाम पर ही रह गई वादीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाला है एवं कम पढा लिखा व्यक्ति है उसने सोचा की जब ग्राम पंचायत से नामान्तकरण पास हो गया तो जमीन हमारे नाम पर हो गई। इसी भ्रम में रहा एवं कब्जा हमारा ही है एवं कब्जा होने से जमीन पर हमारे नाम पर ही है इस वजह से वह निश्चित था इस तरह हम वादीगण ने इस तनकी को अपने पक्ष में कराया है [illegible] की ओर से ऐसा कोई सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भूरा का जो लडका भैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

है जो स्वयं गन्दोली रहता है जमीन मांगथला मे है एवं इस जमीन पर वादीगण का कब्जा होना स्वयं स्वीकार कर रहा है इस तरह हम वादीगण ने इस तनकी को पूर्ण रूप से साबित कराया है ।

52.इसी प्रकार तनकी संख्या 2 का भार वादीगण के जिम्मे था उसका वर्णन उपर की कलमो में तनकी नम्बर 1 में वर्णित की गई है यह तनकी में वादीगण ने साबित कराई है।

53.इसी प्रकार तनकी नम्बर 3 वादीगण के जिम्मे थी कानून का सर्वविदित यह सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खातेदारी जमीन को रजिस्टर्ड दस्तावेज से विक्रय कर देता है तो उस जमीन के लिए उसका टाईटल समाप्त हो जाता है उसके बाद अगर वह जमीन को किसी अन्य को बेचता है तो वह दूसरा बिकावनामा वोईड की श्रेणी में आता है एवं उस दस्तावेज से उस लडकी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है इस प्रकरण में भूरा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी जमीन को हम वादीगण को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21/10/80 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया एवं पंचायत द्वारा नामान्तकरण भी स्वीकृत हो गया ऐसी अवस्था में दिनांक 21/10/80 के बाद भूरा का कोई टाईटल नहीं रहा तो उसके द्वारा किया गया विक्रय पत्र दिनांक 8/4/2009 स्वतः नल एण्ड वोईड है क्योकि रेवेन्यू ऑथेरिटी की लापरवाही से खाते में भूरा का नाम ही रह गया एवं उस वजह से उसके मन में लोभ लालच की भावना से भूरा ने बेची हुई जमीन को पुनः प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी है जो स्वतः ही वोईड है दूसरे खरीददार का जमीन पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है न ही खरीददार शिवराज कुमारी निवासी ओडवाडिया का आज दिन तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा स्वयं इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी स्वयं गवाह में उपस्थित नहीं हुई है तथा स्वयं भूरा के लडके भेरा ने हम वादीगण का कब्जा माना है इस तरह वादीगण ने इस तनकी को पूर्णरूप से साबित कराया है इस तरह इस तनकी को भी वादीगण के पक्ष में निर्णित फरमाई जावे।

54.कि इसी प्रकार तनकी संख्या 4 का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था लेकिन तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी प्रकार का कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है न ही भूरा द्वारा किये हुऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को ही प[illegible] होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

की है और इसी तरह प्रदर्श 10 नामान्तकरण जो पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया उसका भी कोई खण्डन या कोई गवाह साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया इसी तरह यह इश्यू भी प्रतिवादी संख्या 1 साबित करने में असफल रहा है यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ निर्णित की जावे।

55.कि तनकी संख्या 5 साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर रखा गया था प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं शहादत में उपस्थित नहीं हुआ है न कोई दस्तावेजीयात मौखिक शहादत पेश की है वादी काश्तकार होकर ग्राम मांगथला में निवास करता है एवं पढ़ा लिखा भी नहीं है इसलिए उसको अखबार मिला है व उसने पढ़ा हो प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से ऐसी कोई शहादत प्रस्तुत नहीं हुई है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी नम्बर 2 यह तनकी उसके पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है यह तनकी भी उसके खिलाफ निर्णित की जावे।

56.इस तरह वादीगण ने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को पूर्णतया साबित कराया है केवल जमीन रेवेन्यू रेकार्ड में भूरा के नाम पर रह जाने से प्रतिवादी संख्या 1 भूरा ने बेची हुई जमीन को पुनः बेचकर मुझ वादी को परेशान करने की नियत से जबरदस्ती हम पर आकर मेरे शान्तिपूर्वक कब्जे में दखलदांजी करने से हम वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा गत 2009 में यह वाद आपके न्यायालय मे न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ रहा हूं इसलिए न्याय का यह तकाजा है कि ऐसे मामले में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से हम वादीगण को हर्जाने के तौर पर कम से कम 50,000/– रूपये पर दावा डिक्री किया जावे ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को बेची हुई जमीन को पुनः बेचने का कुकृत्य नहीं करे। अतः प्रार्थना है कि वादीगण की उपरोक्त लिखित बहस को रेकर्ड पर ली जाकर प्रकरण का आदेश फरमाया जाकर वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

57.विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2, 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब एवं प्रतिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाने तथा प्रतिवाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

58.हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

1. आया मौजा मांगथला की वादग्रस्त आराजीयात जिसमें प्रतिवादी भूरा का जितना हिस्सा था वह 51 वर्ष पूर्व वादी सं. 1, वादी सं. 2 से 5 के पिता/पति, वादी सं. 6 से 8 के पिता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तभी से कब्जा वादीगणों का उनके पिता/पति के समय से चला आ रहा हैं।
2. आया वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी भूरा का सन् 1980 के बाद से कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं।

   उक्त दोनो तनकी परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित होने से एकसाथ निस्तारण किया जा रहा हैं। उक्त दोनो तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.80 प्रदर्श 9 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2 के पिता भूरा द्वारा वादी सं. 1 मोती, वादी सं. 2 से 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति जेता डांगी, वादी सं. 6 से 8 के पिता कालु डांगी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द करना जाहिर होता हैं। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण तनकी सं. 1 व 2 अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उक्त तनकीया वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।
3. आया प्रतिवादी भूरा ने श्रीमती शिवराजकुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह राठौड निवासी ओडवाडिया को बिना कोई प्रतिफल लिये जमीन दिनांक 06.04.09 को बेच दी जो कि नल एण्ड वोईड है।

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा तनकी नम्बर 1 व 2 साबित करा देने से स्पष्ट है कि भूरा द्वारा वादग्रस्त भूमि को पुनः विक्रय दिनांक 06.04.2009 को किया गया हैं। अतः उक्त भूमि जब भूरा द्वारा पूर्व में विक्रय वादीगण एवं वादीगण के मौरूस के पक्ष में कर देने से भूरा उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार ही नहीं रहा। इस कारण से भूरा द्वारा किया गया पश्चातवर्ती विक्रय पत्र नल एण्ड वोईड हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।
4. आया वादग्रस्त आराजीयात भूरा ने बेचान नहीं की उस पर उसी का कब्जा एवम् आधिपत्य चला आ रहा था इस कारण श्रीमती शिवराजकुमारी को जमीन का बेचान किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर रहा। वादीगण तनकी नम्बर 1 से 3 अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहने से स्पष्ट है कि भूरा द्वारा उक्त जमीन का विक्रय वादीगण के पक्ष में कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

5. आया भूरा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात विक्रय करने का ईश्तिहार राजस्थान पत्रिका दिनांक 26.03.2009 को निकलवाया। वादीगण द्वारा 7 दिवस में कोई उजर, ऐतराज पेश नहीं करने पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 2 द्वारा क्रय की गई है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्व कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 2 पर रहा परन्तु तनकी नम्बर 3 वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे है उक्त तनकी भी उससे ही सम्बन्धित होने से विस्तृत विवेचन की आवश्यकता नहीं हैं।

59. हमने तनकीयों पर विवेचन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में भूरा का हक हिस्सा निहित था तथा भूरा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.80 से प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2 के पिता भूरा द्वारा वादी सं. 1 मोती, वादी सं. 2 से 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति जेता डांगी, वादी सं. 6 से 8 के पिता कालु डांगी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण पारित करने के पश्चात् भी राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं की गई तथा राजस्व रेकार्ड में भूरा के नाम ही चली आ रही थी। भूरा द्वारा उक्त भूल का लाभ उठाकर पुनः वादग्रस्त भूमि का विक्रय दिनांक 06.04.2009 को प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कर दिया गया। न्यायालय का अभिमत है कि 1980 के विक्रय के पश्चात् भूरा उक्त भूमि का खातेदार ही नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में भूरा द्वारा दिनांक 06.04.2009 को किया गया विक्रय पत्र को नहीं माना जा सकता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत मोहरूपुरी बनाम लोचन सिंह 1990 आर.आर.डी. पेज नम्बर 44 के पैरा 7 में स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति ने कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये, जब उसके पक्ष में एक विक्रय पत्र पहले निष्पादित कर दिया गया। उसी भूमि को बाद में दूसरे व्यक्ति को पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेच दिया गया और अधिकार अभिलेख में दूसरे खरीददार के पक्ष में प्रविष्टियां (इन्द्राज) कर दी गई। अभिनिर्धारित कि इसके बावजूद पहला खरिदार उस भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के अनुतोष का हकदार है।

वादग्रस्त आराजी नम्बर 1306, 2466, 3711, 3712, 3713, 3715, 3716, 3717 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.80 में दर्ज है परन्तु वादीगण द्वारा किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड संलग्न नहीं किया गया। जिससे यह जाहीर होता हो कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात दावा पेश करते समय या वर्तमान में किसके नाम दर्ज है। विक्रय के समय किसके नाम थी। प्रतिवाद संख्या 1 को उक्त आराजीयात विक्रय करने का अधिकार था या नही। इस प्रकार उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में वादीगण वाद को साबित कराने में असमर्थ रहे है जिसके कारण उक्त आराजीयात में घोषणा दी जाना उचित नहीं समझते हैं। उक्त आराजीयात के अतिरक्त अन्य आराजीयात भूमि जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.80 अंकित है उनमे न्यायिक दृष्टांत अनुसार घोषणा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य एवं प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिवाद खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.80 के आधार पर आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार क्षेत्र मांगथला, तहसील मावली हाल घासा, जिला उदयपुर (राज०) की जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 कि **खाता संख्या 396** पर दर्ज आराजी नम्बर 61, 1212 से 1214, 1253, 1256, 1267, 1303, 1331, 1332, 1429, 1462, 1478, 1611, 209[illegible] 210[illegible] से 2107, 2291, 3092 से 3094, 3164, 3202 से 3204 कित्ता 27 कुल रकबा [illegible] बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/12 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 477 पर दर्ज आराजी नम्बर 1305 रकबा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/144 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 3109 रकबा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/32 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/96 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/96 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/96 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 388 पर दर्ज आराजी नम्बर 39 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohit
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खाता संख्या 391 पर दर्ज आराजी नम्बर 40 से 42 किता 3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 393 पर दर्ज आराजी नम्बर 1199, 1625, 1868, 1882, 2093, 2108, 2109 किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 5/24 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 5/72 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 5/72 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 5/72 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 476 पर दर्ज आराजी नम्बर 3134, 3135 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 394 पर दर्ज आराजी नम्बर 1767, 1768, 1812 से 1814, 3115 से 3118, 3120, 3121 किता 11 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 398 पर दर्ज आराजी नम्बर 3205 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 478 पर दर्ज आराजी नम्बर 3126 से 3128, 3131 किता 4 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/144 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 483 पर दर्ज आराजी नम्बर 3136 रकबा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 7/288 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 7/864 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 7/864 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 7/864 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 482 पर दर्ज आराजी नम्बर 3119, 3122, 3124 किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pundalia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 7/432 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 7/1296 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 7/1296 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 7/1296 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मोती पिता वक्ता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
2. श्री केशुलाल पिता जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
3. श्री मेघराज पिता जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
4. श्री गणेश पिता जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
5. श्रीमती मोहनी पत्नी जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
6. श्री डालु पिता कालु डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
7. श्री नन्दराम पिता कालु डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
8. श्री मनोहरलाल पिता कालु डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भूरा पिता रूपा डांगी के बजाय :–

1/1 श्री भेरा पिता भूरा डांगी निवासी गन्दोली तह. मावली।

1/2 श्रीमती सकुडीबाई पिता भूरा पत्नी देवा डांगी निवासी मांगथला रेतडा तह. मावली।

2. श्रीमती शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह राठौड निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
3. श्रीमती कला पुत्री जेता पत्नी कन्ना डांगी निवासी भैसडाकला तह. गिर्वा।
4. श्रीमती नारी पुत्री जेता पत्नी शम्भुलाल डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
5. श्रीमती उदी पुत्री जेता पत्नी केशुलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. श्रीमती राधी पुत्री कालु पत्नी भूरा डांगी निवासी लोरेला का गुडा तह. नाथद्वारा।
7. रखा पुत्री कालु पत्नी जगन्नाथ डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 134/09 (वाद)

GCMS No. : 2009/00203

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर [illegible]या जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.80 के आधार पर आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार क्षेत्र मांगथला, तहसील मावली हाल घासा, जिला उदयपुर (राज०) की जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 कि **खाता संख्या 396** पर दर्ज आराजी नम्बर 61, 1212 से 1214, 1253, 1256, 1267, 1303, 1331, 1332, 1429, 1462, 1478, 1611, 2094, 2104 से 2107, 2291, 3092 से 3094, 3164, 3202 से 3204 किता 27 कुल रकबा 15 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/12 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 477 पर दर्ज आराजी नम्बर 1305 रकबा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/144 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 3109 रकबा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/32 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/96 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/96 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/96 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खाता संख्या 388 पर दर्ज आराजी नम्बर 39 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 391 पर दर्ज आराजी नम्बर 40 से 42 किता 3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 393 पर दर्ज आराजी नम्बर 1199, 1625, 1868, 1882, 2093, 2108, 2109 किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 5/24 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 5/72 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 5/72 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 5/72 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 476 पर दर्ज आराजी नम्बर 3134, 3135 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

1/48 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 394 पर दर्ज आराजी नम्बर 1767, 1768, 1812 से 1814, 3115 से 3118, 3120, 3121 किता 11 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 398 पर दर्ज आराजी नम्बर 3205 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 478 पर दर्ज आराजी नम्बर 3126 से 3128, 3131 किता 4 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 1/144 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 1/144 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 483 पर दर्ज आराजी नम्बर 3136 रकबा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 7/288

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 7/864 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 7/864 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 7/864 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 482 पर दर्ज आराजी नम्बर 3119, 3122, 3124 किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 शिवराज कुमारी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज 7/432 हिस्सा के बजाय वादी संख्या 1 मोती पिता वक्ता को 7/1296 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 केसुलाल पिता जेता डांगी, मेघराज पिता जेता डांगी, गणेश पिता जेता डांगी, मोहनी पत्नी जेता डांगी को सयुंक्त रूप से 7/1296 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 से 8 डालु पिता कालु डांगी, नन्दराम पिता कालु डांगी, मनोहरलाल पिता कालु डांगी को सयुंक्त रूप से 7/1296 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested